



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in
23 मई, 2013

सं. सी- सी-44/2012-एमपीलैड्स

Dated

सेवा में,

1. आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: कृत्रिम अंगों के अनुदान को परस्पर न मिलाना


महोदय,

राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ 26.02.2013 को आयोजित एमपीलैड्स की समीक्षा बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि पैरा 3.28 (अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग) के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए, जिसके तहत यह प्रावधान है कि कृत्रिम अंगों, आदि के लिए किसी एक व्यक्ति को केवल किसी एक माननीय सांसद द्वारा ही अनुदान दिया जा सकता है तथा कोई अन्य सांसद उसी व्यक्ति को दिए गए इस अनुदान में और आगे अपना अनुदान नहीं मिला सकता है।

2. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 3.28 (अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग) के अंतर्गत एमपीलैड्स के तहत किसी एक व्यक्ति के लिए माननीय सांसदों द्वारा अनुदानों को परस्पर मिलाने की अनुमति नहीं है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,


(डॉ. साईबाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें।